न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल गवालियर म0 प्र0

1— रामकिशोर तनय हरप्रसाद यादव,

2— मुलायम तनय हरप्रसाद यादव ,

3— छोटेलाल तनय हरप्रसाद यादव ,

4— शोभाराम तनय हरप्रसाद यादव ,

निबासी— ग्राम कोड़िया, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदकगण

वनाम

1— म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार मोहनगढ़ ,

2— आशाराम तनय भददे यादव ,

3— नत्थन तनय भददे यादव ,

निबासी— ग्राम कोड़िया, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... प्रतिअपीलार्थीगण

~~निगसनी~~ अपील अंतर्गत धारा 44/2 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण द्वारा यह ~~निगसनी~~ अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 93/अपील/2014—15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18/01/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम टौरिया , तहसील मोहनगढ, जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि अपीलांट के पिता हरप्रसाद यादव एवं रिस्पॉ0गण के पिता भददे यादव को उत्तराधिकारी वारिसान प्राप्त हुई थी। जिस भूमि का नामांतरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 868–दो / 16 जिला –टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
18.3.16	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 93 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.1.2016 से परिवेदित होकर की है। आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों का अवलोकन किया गया । 2– यह कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम कौडिया, तहसील मोहनगढ, जिला टीकमगढ स्थित भूमि खसरा न0 87 / 1 , 87 / 2, 150, 151, 144 / 2, 195 जु0, 241 / 1 च, 169 / 242, 264 में कुल एकत्र रकवा 4.328 है0 आवेदकगण के पिता हर प्रसाद यादव एवं अनावेदकगण के पिता भददे यादव को उत्तराधिकारी वारिसान प्राप्त हुई थी। जिस भूमि का नामांतरण अधीनस्थ तहसीलदार मोहनगढ के आदेश दिनांक 10.8.2015 में जैसा लेख है, कि पंजी क0 7 दिनांक 28.5.1985 एवं पंजी कमांक 8 दिनांक 12.2.1996 के अनुसार खातेदार पनयाराबारी एवं उसके पति भददे के मरणोपरांत राजस्व अभिलेख में हो गया था।	

3–यह कि उपरोक्त बादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण के पिता हरप्रसाद का नाम वर्ष 1985 एवं 1996 में ही खसरा पंचशाला, राजस्व अभिलेख में हो गया था, तभी से अनवरत चला आ रहा था कि अनावेदकगण ने एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 का तहसीलदार मोहनगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो आवेदन पत्र स्वीकार किया जा कर दिनांक 10.8.2015 को तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित कर के वादग्रस्त भूमि पर 1/9 हक पर नामांतरण का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वारा निरस्त कर दी गई । जिससे परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

4– प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के पिता का नाम वादग्रस्त भूमि पर 1985 में दर्ज हो गया था। तदोपरांत लगातार वर्तमान तक नाम दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के आधार पर जो कार्यवाही कर के इतना पुराना नामांतरण निरस्त किया है, उसका उन्हें क्षेत्राधिकार नहीं था। इन धाराओं के तहत तहसीलदार को सीमित अधिकार प्रदान किये गये हैं । जो मात्र लिपिकीय त्रुटि सुधार तक है। इन धाराओं के तहत नामांतरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में स्तत्व का विवाद था तो तहसीलदार को चाहिये था कि उभयपक्षों को सिविल न्यायालय से स्वत्व निराकरण का निर्देश देना था। इस तथ्य को अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा भी अनदेखा किया गया है। जब कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में इस बात को माना है कि वादभूमि पर लंबे समय से आवेदकगण के पिता का नाम दर्ज था, उसके उपरांत आवेदकगण का नाम दर्ज हुआ। नामांतरण के समय भी कोई आपत्ति नहीं की गई । आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि तहसीलदार के द्वारा वाद भूमि 1/9 हिस्सा क्यों और किस आधार पर किये हैं । दोनों न्यायालयों के आदेश बोलते हुये आदेश न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

अतः मैं उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मोहनगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–6 अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 10.8.2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा प्रकरण कमांक 93/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.01.16 निरस्त करता हूँ तथा तहसीलदार को आदेशित करता हूँ कि इस प्रकरण की वाद भूमि पर पूर्ववत सभी खातेदारों के नाम दर्ज किये जावे। प्रकरण दा0 द0 हो। उभयपक्ष सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य